2005:CGHC:3615 प्रकाशन हेतु अनुमादित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर(छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक - 1432/2003

(जनहित याचिका)

1. डॉ. अरुणिमा शर्मा, उम्र - 32, वर्ष,
पिता- श्री वाई.के. शर्मा,
निवासी - डी-3, विद्या उपनगर, बिलासपुर,
जिला -बिलासपुर (छ.ग.)
2. डॉ. नीता श्रीवास्तव, उम्र - 41 वर्ष,
पति– डॉ. सुशील श्रीवास्तव
निवासी- ए-155, अज्ञेय नगर बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
3. श्रीमती आर. विभा राव,उम्र-43 वर्ष,
पति– श्री आर.जे. राव, निवासी-
एल-9 विनोबा नगर बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .....याचिकाकर्तागण

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव,
शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन,
रायपुर (छ.ग.)
2. यू.जी.सी. अनुदान आयोग,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002
3. पं. रविशंकर विश्वविद्यालय,
द्वारा रजिस्ट्रार रायपुर (छ.ग.)
4. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
द्वारा रजिस्ट्रार बिलासपुर (छ.ग.)

..... उत्तरवादीगण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंर्तगत रिट याचिका:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2005:CGHC:3615 प्रकाशन हेतु अनुमादित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(युगल पीठ)

पीठासीन: - माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधिपति,
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 1432/2003

डॉ. अरुणिमा शर्मा एवं अन्य

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति –

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनक तिवारी तथा श्री प्रतीक शर्मा

राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री ए.एस. गहरवार।

आदेश

(06.07.2005)

माननीय श्री ए.के.पटनायक, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।

(1) याचिकाकर्ता क्रमांक 1 इतिहास में स्नातकोत्तर है। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 नगर निगम, बिलासपुर की शैक्षणिक उप-समिति के अध्यक्ष हैं। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 एक अधिवक्ता हैं तथा रिट याचिका दायर करने के समय नगर निगम, बिलासपुर के अध्यक्ष थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2002 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह जनहित याचिका दायर की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च 2000 में जारी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26 की उपधारा 14 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्याख्याताओं, रीडरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता पर नियम बनाए हैं और उक्त नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए, उम्मीदवार को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या यूजीसी से संबद्ध समान परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2002 के अधीन, जिन उम्मीदवारों ने नेट/एसएलईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है, जबकि

याचिकाकर्ता क्रमांक 1 जिसने नेट उत्तीर्ण किया है, उसे छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कनक तिवारी ने कहा कि 9 जुलाई 2002 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2002 को पढ़ने पर पता चलता है कि अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करने के लिए केवल दो अंक रियायिती अंक के रूप में जोड़े जाते हैं, लेकिन उक्त भर्ती नियम 2002 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने नेट या स्लेट उत्तीर्ण न कर लिया हो। अपने तर्क के समर्थन में श्री तिवारी ने जतिंदर सिंह बनाम गुरमीत सिंह सिद्धू एवं अन्य [(2001) 6 एससीसी 508] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पात्रता परीक्षा अर्थात यूजीसी द्वारा आयोजित नेट या विश्वविद्यालय परिपत्र दिनांक 18.5.1999 में निर्दिष्ट अन्य समान परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उन्होंने ब्रह्मो समाज एजुकेशन सोसाइटी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [(2004) 6 एससीसी 224] में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना है कि केवल वही व्यक्ति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिसने नेट या स्लेट उत्तीर्ण किया हो, यूजीसी द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार सहायता प्राप्त संस्थान में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एस. गहरवार ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि उपरोक्त यूजीसी विनियमों से, जिसकी एक प्रति उनके द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, यह स्पष्ट होगा कि व्याख्याता के पद के लिए एक उम्मीदवार को यू.जी.सी. या सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित व्याख्याताओं के लिए पात्रता परीक्षा (एनईटी) या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। इस संदर्भ में, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26 के उपधारा 14 के अधीन बनाए गए मार्च 2000 की अधिसूचना के अनुलग्नक के खंड 1.3.3 के साथ-साथ यह दिखाने के लिए संलग्न नोट का उल्लेख किया कि पीएच.डी. डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए भी व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए नेट अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि संशोधित रूप में उक्त नोट में कहा गया है जिन्होंने पीएचडी डिग्री प्राप्त की है या 31 दिसंबर 2002 को या उससे पहले संबंधित विषय में विश्वविद्यालय में पीएचडी थीसिस जमा कर दी है, उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट दी जायेगी और केवल ऐसे उम्मीदवार की स्थिति में जब ऐसा उम्मीदवार पीएचडी प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे नेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। श्री गहरवार ने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आगे कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 14 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का पालन करने में विश्वविद्यालय की विफलता के परिणामों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह और अन्य [एआईआर 1995 एससी 336] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा था कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को व्याख्याता के पद के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस संबंध में यूजीसी द्वारा बनाए गए नियम न केवल वैध हैं, बल्कि अनिवार्य भी हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री मूर्ति ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा भर्ती नियम 2002 को इस बीच 29 अप्रैल 2005 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है और छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा भर्ती नियम 2002 के नियम 5 के संशोधित उप-नियम (3) के अधीन अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि सबसे पहले नेट/स्लेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 29 अप्रैल 2005 की अधिसूचना के बारे में लाए गए उपरोक्त संशोधन के अनुसार यह रिट याचिका अब अस्तित्व में नहीं है।

(6) तथापि, विद्वान अधिवक्ता श्री कनक तिवारी ने कहा कि दिनांक 29 अप्रैल 2005 की अधिसूचना में किए गए संशोधन से यह प्रतीत होता है कि नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों को 25 अंक योग्यता अंक दिए जाएंगे, लेकिन याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि जब तक कोई अभ्यर्थी नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता, तब तक वह छत्तीसगढ़ के किसी महाविद्यालय में व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के पद के लिए योग्य नहीं है।

(7) दिनांक 29 अप्रैल 2005 की अधिसूचना, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2002 के नियम 5 के उप-नियम (3) को प्रतिस्थापित किया गया है, निम्नानुसार है:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रायपुर, 29 अप्रैल 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-2/2004/38.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा भर्ती नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियम में,-

नियम 5 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात -

मेरिट सूची तैयार करने के लिए अधिकतम 100 अंक होंगे और मानदंड निम्नानुसार होंगे -

(क) नेट या स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए - 25 योग्यता अंक

(बी) डिग्री स्तर पर प्राप्त अंकों के लिए - 25 योग्यता अंक

50 -0 अंक के लिए, 51 से 70 तक प्रत्येक प्रतिशत के लिए एक अंक तथा 70 से अधिक अंक प्राप्त करने पर 05 बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे (बोनस अंक प्रदान करने के लिए 70.5 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है) ।

(ग) स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों के लिए-30 योग्यता अंक

55 से 5 अंक तक, 56 से 75 तक प्रत्येक प्रतिशत के लिए एक अंक तथा 75 से अधिक अंक प्राप्त करने पर 05 बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे (बोनस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अंक प्रदान करने के लिए 75.5 और उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है) ।

(डी) एम. फिल. डिग्री के लिए - 05 योग्यता अंक

(ई) पीएच.डी. डिग्री के लिए - 10 योग्यता अंक

(च) शिक्षण अनुभव के लिए - 05 योग्यता अंक

सरकारी कॉलेजों में प्रत्येक वर्ष पांच माह या उससे अधिक के लिए केवल 01 मेरिट अंक, अधिकतम 05 अंक तक प्रदान किए जाएंगे।

कुल 100 योग्यता अंक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

टिप्पणी :

(1) सर्वप्रथम नेट/स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भर्ती नियमों की शैक्षिक योग्यता में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त न्यूनतम अंकों में 5 की छूट दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार।
(एस.आर. ब्राह्मणे)
उप सचिव

दिनांक 29 अप्रैल, 2005 की उक्त अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 के उपनियम (3) के प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि योग्यता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम 100 अंक होंगे तथा नेट/स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को 25 योग्यता अंक दिए जाएंगे। तथापि, 29 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ संलग्न नोट (1) में यह प्रावधान है कि सबसे पहले नेट/स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। नियम 5 के उपनियम (3) में उल्लिखित दो प्रावधानों का अर्थ यह होगा कि जिन अभ्यर्थियों ने नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनमें से नियम 5 के उपनियम (3) के प्रावधानों के अनुसार एक योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा ऐसी योग्यता सूची के आधार पर नेट/स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाएगा तथा योग्यता के आधार पर नेट/स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों चयन होने के पश्चात, यदि और पद उपलब्ध हैं तथा कोई नेट/स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो जिन अभ्यर्थियों

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ने नेट/स्लेट उत्तीर्ण नहीं किया है, उन पर 29 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 के उपनियम (3) के अनुसार उनकी योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(8) यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि ऐसे उम्मीदवार की भर्ती का कानूनी परिणाम क्या होगा जिसने नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और जो उक्त अधिनियम की धारा 26 के उपधारा 14 के अधीन मार्च 2000 की अधिसूचना के अनुलग्नक में संशोधित नोट में दिए गए अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में दिया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "अब यह स्पष्ट करना उचित है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए क्या निर्देश जारी किए हैं। इसने माना कि 19 सितंबर, 1991 की अधिसूचना, जिसके द्वारा उक्त विनियम प्रकाशित किए गए थे, वैध और अनिवार्य थी और दिल्ली विश्वविद्यालय कानून के अधीन उनका पालन करने के लिए बाध्य था। दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया था कि वह अधिसूचना के अनुसार ही अपने और अपने संबद्ध और अधीनस्थ कॉलेजों के लिए व्याख्याताओं का चयन करे। संक्षेप में, दिल्ली विश्वविद्यालय को उक्त

विनियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने और अपने संबद्ध कॉलेजों में एक व्याख्याता के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उक्त विनियमों द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या वह किसी विशिष्ट मामले में इस आवश्यकता में छूट के लिए पूर्व अनुमोदन मांग सकता है; या वह यूजीसी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी ऐसे व्यक्ति को व्याख्याता के रूप में नियुक्त कर सकता है जो इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, ऐसी स्थिति में, यदि वह यूजीसी की संतुष्टि के लिए उक्त विनियमों का पालन करने में अपनी विफलता के लिए कारण बताने में विफल रहता है, तो वह यूजीसी से अपना अनुदान खो देगा। हालांकि, अगर वह यूजीसी की संतुष्टि के लिए कारण बताता है, तो वह न केवल अपना अनुदान खो देगा, बल्कि यूजीसी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गई नियुक्ति नियमित हो जाएगी।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट हो जाएगा जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 14 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया गया था तथा यह माना गया था कि ऐसा व्याख्याता जो यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं

करता है, उसे किसी विशिष्ट मामले में आवश्यकता में छूट के लिए पूर्व अनुमोदन के साथ नियुक्त किया जा सकता है अथवा जब व्याख्याता के पद पर नियुक्ति की जाती है जो यूजीसी से ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए बिना पात्रता शर्त को पूरा नहीं करता है, तो यूजीसी द्वारा कारण बताओ जारी किया जाएगा तथा कारण बताओ का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में अथवा यदि कारण बताओ यूजीसी की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है, तो यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान वापस लेने की कार्रवाई की जा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) उपर्युक्त घोषणाओं और निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका निराकृत की जाती है।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

– अस्वीकरण – हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: – Smt. Shubha Shrivastava, Adv.